राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

वित्त समिति की नवम बैठक का कार्यवाही विवरण

स्थल : कुलपति सचिवालय सभा कक्ष

दिनांक : 16 फरवरी 2013

समय : प्रातः 11.30 बजे

Rajsthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No. -0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

क्रमांक : एफ/(3)/लेखा/IXFC/13/15450-52 दिनांक 18/2/13

.....
वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

विषय : वित्त समिति की नवम बैठक दिनांक 16 फरवरी 2013 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की नवम बैठक दिनांक 16 फरवरी 2013 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय,

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांक : एफ/(3)/लेखा/IXFC/13 दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निदेशक (विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय) आर.टी.यू., कोटा।
4 निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय
5 कुलसचिव, आर.टी.यू. कोटा को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

वित्त अधिकारी
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

उपस्थित सदस्यों की सूची

1	प्रो. आर. पी. यादव कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री के.के. शर्मा (अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त) प्रतिनिधि वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	श्री आर के गुप्ता, संयुक्त सचिव (प्रतिनिधि) तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
4	प्रो. ओ.पी. छंगानी प्रति कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	श्रीमती भागवन्ती जेठवानी कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6	प्रो. अनिल के. माथुर परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
7	श्री एस. एन. शर्मा वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

कार्यवाही विवरण
(नवम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.02.2013)

वि.स.क्र. 9.1 : **वित्त समिति की अष्टम बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16.08.2012 को प्रातः 11.00 बजे कुलपति सचिवालय सभा भवन में प्रो. आर. पी. यादव, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

अष्टम वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/VIII FC/12/4329-38 दिनांक 18.08.2012 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 12 से 26 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 9.2 : **अष्टम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.08.2012 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।** **(वित्त अधिकारी)**

अष्टम वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.08.2012 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड की 15वीं बैठक के आइटम नं. 15.4 से होने के उपरांत पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन कर प्रस्तुत पालना पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

वि.स.क्र. 9.3 : **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2013–14 का बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2012–13 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** **(वित्त अधिकारी)**

सप्तम वित्त समिति की बैठक में वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित आय /व्यय के अनुमानों के विरूद्ध वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित अनुमानों के सारांश का योग निम्नांकित

सारणी में (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 03 पृष्ठ संख्या 46 से 59 पर) अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

Rs. In Lacs

Sr No.	Particulars	Actual			Sanction Budget 2012-13	Upto Dec 2012	Revised Estimate 2012-13	Budget Estimate 2013-14
		2009-10	2010-11	2011-12				
1	**Income**	3938.09	5042.52	5573.94	4919.73	2460.98	8616.54	8503.40
2	**Expenditure**	2172.67	2694.84	3544.87	4967.95	4031.11	6104.40	7275.44

नोट : परीक्षा शुल्क राशि रू. 47.85 करोड़ माह जनवरी 2013 में विश्वविद्यालय आय में सम्मिलित की गई।

समिति द्वारा संशोधित अनुमान वर्ष 2012–13 एवं बजट अनुमान 2013–14 का अवलोकन कर अनुमोदित किया गया। साथ ही बजट टिप्पणी में माह जनवरी 2013 तक के वास्तविक आय/व्यय के आंकडे इंगित करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 9.4 : **आयोजना भिन्न बजट वर्ष 2012–13 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।**
(वित्त अधिकारी)

राज्य सरकार वित्त विभाग की अर्द्धशासकीय टीप क्रमांक एफ4(1)वित्त/व्यय 1/2011 दिनांक 02 मई 2012 जिसकी प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प.3(6)तशि/207 दिनांक 16 मई 2012 से प्राप्त हुई है, के अनुसार वर्ष 2012–13 में बजट निर्णायक समिति की बैठक के निर्णयानुसार आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद हेतु अनुदान राशि रू. 0.01 लाख का प्रावधान किया गया है। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2012–13 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 04 पृष्ठ संख्या 60 से 63 पर उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार से संवेतन मद में राशि प्राप्त न होने के कारण उपगत व्यय विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 9.5 : **आयोजना बजट वर्ष 2012–13 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।**
(वित्त अधिकारी)

राज्य सरकार वित्त विभाग की अर्द्धशासकीय टीप क्रमांक एफ4(1)वित्त/व्यय 1/2011 दिनांक 02 मई 2012 जिसकी प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प3(6)तशि/207 दिनांक 16 मई 2012 से प्राप्त हुई है के अनुसार वर्ष 2012–13 में 200 लाख का प्रावधान वीकृत किया गया था। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2012–13 का कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 64 से 65 पर उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार से आयोजना मद में राशि प्राप्त करने हेतु मांग पत्र भिजवाया जा चुका है किन्तु वर्ष 2013–14 के बजट निर्णायक समिति द्वारा 2012–13 के लिए पूर्व में स्वीकृत राशि रू. 200 लाख को संशोधित करते हुए रू. 0.01 लाख का प्रावधान आयोजना मद में किया गया है। अतः पूर्व में प्रारम्भ किये गये कार्यो पर होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 9.6 : **दिनांक 01.01.2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्भरण हेतु मेडिक्लेम सुविधा लागू किये जाने के संबंध में।**
(कुलसचिव)

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ6 (5)एफडी रूल्स/2004 दिनांक 27.07.2004 द्वारा राज्य सेवा में 01.01.2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के अन्तरंग रोगी के रूप में चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पॉलिसी राज्य सरकार के राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए MOU के अनुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों को चिकित्सा (मेडिकल)व्यय राज्य कर्मचारियों के समान ही दिये जाने का प्रावधान है। अतः विश्वविद्यालय में 01.01.2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए वर्ष 2013–14 से मेडिक्लेम पॉलिसी रू. 1.00 लाख (प्रति कार्मिक/प्रति वर्ष) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से राज्य सरकार के नियमानुसार कराए जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत है। (परिशिष्ट संख्या 05 पृष्ठ संख्या 66 से 69 प्रति संलग्न)।

समिति द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 9.7 **राजस्थान लोकउपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं लोकउपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के संबंध में। (वित्त अधिकारी)**

विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ (3) लेखा / 23 / 12 / 13262–72 दिनांक 07.02.2013 से राजस्थान लोकउपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोकउपापन में पारदर्शिता नियम 2013 विश्वविद्यालय द्वारा सामग्री, सेवा एवं संकर्म के उपापन के मामलों में लागू किये जा चुके हैं जो माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया (परिशिष्ट संख्या 06 पृष्ठ संख्या 70 प्रति संलग्न)।

समिति द्वारा उपर्युक्त आदेश का अवलोकन किया गया तथा वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के लिए विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 13687–724 दिनांक 14.02.2013 द्वारा गठित उपापन समितियों के आदेश का अवलोकन कर पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 9.8 : **वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सनदी लेखाकार अंकेक्षण रिपोर्ट (वित्त अधिकारी)**

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2011–12 के लेखों का अंकेक्षण सनदी लेखाकार द्वारा करवा लिया गया है जिसकी अंकेक्षण रिपोर्ट व सत्यापित बैलन्स शीट व आय व्यय खाता माननीय सदस्यों के समक्ष (परिशिष्ट संख्या.07 पृष्ठ संख्या 71 से 96 तक प्रति संलग्न) अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर अंकेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये विभिन्न अग्रिमों के शीघ्र समायोजन/वसूली करने तथा विश्वविद्यालय की परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित प्रारूप में पंजिका संधारित करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 9.9 : **विश्वविवद्यालय के कार्मिकों को शिक्षण शुल्क पुनर्भरण के विषय में। (कुलसचिव)**

पूर्व में द्वितीय वित्त समिति के बिन्दु क्रमांक 2.13 में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कार्मिकों के बच्चे जो विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे है के लिए ऐसे कार्मिकों को जो आयकरदाता नहीं है

100/– रू. प्रतिमाह प्रति बच्चे के हिसाब से अधिकतम दो बच्चों तक शिक्षण शुल्क पुनर्भरण का निर्णय लिया गया था। प्रबन्ध मण्डल की छठीं बैठक के बिन्दु संख्या 6.6 द्वारा द्वितीय वित्त समिति की बैठक के निर्णयों का अनुमोदन किया गया किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार आदेश जारी नहीं होने के कारण महालेखाकार राजस्थान द्वारा कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी आक्षेप गठित किया गया है। जिसकी पालना में विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु पत्र भिजवाया गया। जिस पर राज्य सरकार ने कार्योत्तर स्वीकृति देने से असहमति प्रकट की है। (परिशिष्ट संख्या.08 पृष्ठ संख्या 97 से 102 तक प्रति संलग्न)

अतः प्रकरण माननीय समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राजस्थान विश्वविद्यालय के नियमों के अनरूप शिक्षण शुल्क पुनर्भरण हेतु संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को पुनः प्रकरण प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 9.10 : रिसर्च कार्यो हेतु पृथक से रिसर्च विभाग सृजित करने बाबत।

(डीन रिसर्च)

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2012–13 से पी एच डी की कक्षाएं प्रारम्भ कर दी गई है तथा एक रिसर्च अनुभाग बनाया गया है जिसका विभागाध्यक्ष डीन रिसर्च को बनाया गया है। डीन रिसर्च द्वारा उनको विभागाध्यक्ष घोषित करने एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु रू. 1.00 लाख की आय व 20.00 लाख के व्यय के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है। अतः वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए राशि रू. 20.00 लाख व्यय करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। (परिशिष्ट संख्या 09 पृष्ठ संख्या 103 से 105 प्रति संलग्न)।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर वांछित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 9.11 : परीक्षा के लिए नियुक्त पर्यवेक्षण/उडन दस्ते हेतु टेक्सी की दरों के अनुसार भुगतान करने बाबत।

(परीक्षा नियंत्रक)

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पर्यवेक्षक एवं उडन–दस्ते की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है जिसमें

प्रत्येक सदस्य को 500/– रू. का मानदेय एवं रू. 250/– वाहन व्यय का भुगतान किया जाता है। ये दरें काफी पुरानी होने एवं पैट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण परीक्षा नियन्त्रक द्वारा वाहन भत्ते के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित हायर टैक्सी की दरों के अनुरूप वाहन भत्ते के भुगतान करने की अनुशंषा की गई जिसे समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया। (परिशिष्ट संख्या 11 पृष्ठ संख्या 106 प्रति संलग्न)।

समिति द्वारा पूर्व में देय वाहन–व्यय रू. 250/– के स्थान पर उडन दस्ते (Flying Squad) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा इण्डिका कार (AC) के लिए 8 घण्टे हेतु अनुमोदित दर पर उडन दस्ते के दल के सदस्यों को टेक्सी/कार किराये पर लेने/उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 9.12 : **अनुचित साधनों के प्रयोग के कारण छात्र से वार्षिक/सेमेस्टर फीस वसूली के संबंध में।** **(परीक्षा नियंत्रक)**

परीक्षा कमेटी के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण छात्रों को दण्डित/प्रतिबन्धित किया जाता है। जिसमें छात्रों से पूर्ण वर्ष/सेमेस्टर की फीस पुनः जमा कराई जाती है जिसके कारण छात्रों/अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है।
अतः ऐसे छात्रों से पूर्ण वर्ष/समेस्टर की फीस के स्थान पर रू. 10,000/– प्रति सेमेस्टर जमा कराया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा कमेटी के निणय की प्रति (परिशिष्ट संख्या 11 पृष्ठ संख्या 107 से 109 प्रति संलग्न)।
प्रस्ताव सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर आलोच्य प्रकरणों में प्रस्तावित फीस रू. 5,000/– प्रति सेमेस्टर/प्रति छात्र जमा कराने की सहमति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 9.13 : **वीक्षकों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच में पाई गई अनिमितताओं के संबंध में शास्ति निर्धारण करने हेतु।** **(वित्त अधिकारी)**

विश्वविद्यालय द्वारा संबद्व महाविद्यालयों/ संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं की जाँच विभिन्न वीक्षकों के माध्यम से कराई जाती है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रति छात्र रू. 1000/– की दर से शुल्क लिया जाकर छात्रों को उनकी उत्तरपुस्तिकाएं दिखाई

जा रही हैं। उत्तरपुस्तिकाओं के निरीक्षण के दौरान कतिपय प्रकरणों में निम्नांकित अनियमितताएं पाई गई :–

1. उत्तरपुस्तिकाओं में वीक्षक द्वारा प्रश्न जाँच करने में छूट गए है, जिनकी पुनः जांच अन्य वीक्षकों से कराई जाकर संशोधित परिणाम घोषित किये जाते हैं।

2. उत्तरपुस्तिकाओं में अंकित किए गए अंको एवं ओ.एम.आर. शीट में वीक्षकों द्वारा अंकित अंकों के योग में भिन्नता होने पर अन्य वीक्षकों द्वारा अंकों की गणना कर संशोधित परिणाम घोषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रकरणों में छात्रों का परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होता है।

इस प्रकार वीक्षकों की त्रुटि की वजह से न केवल विश्वविद्यालय की छवि दुष्प्रभावित होती है अपितु विश्वविद्यालय पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ता है।

अतः उक्त प्रकरणों में अंकों की गणना के योग में और/या उत्तरपुस्तिका में प्रश्न जाँच में छूट जाने में पुनः जाँच उपरान्त वांछित संशोधन के परिणामस्वरूप छात्रों का परीक्षा परिणाम परिवर्तित हो जाने की अवस्था में सम्बन्धित वीक्षकों के विरुद्व समुचित कार्यवाही/शास्ति निधारण हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर प्रति कुलपति की अध्यक्षता में कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियन्त्रक की समिति गठित करने के निर्देश दिये गये। उक्त समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में इस संबंध में लागू नियमों/प्रावधानों का अध्ययन कर वांछित रिपोर्ट आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

वि.स.क्र. 9.14 : विश्वविद्यालय के अतिथियों/बाह्य परीक्षकों को सर्किट हाउस व आरटीडीसी के होटलों में ठहराने के संबंध में। (कुलसचिव)

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर साक्षात्कार हेतु चयन समिति के सदस्यों तथा समय समय पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों/गतिविधियों में आमंत्रित अतिथियों/बाह्य परीक्षकों को आवास सुविधा दिये जाने हेतु जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर एवं बीकानेर में स्थित समस्त सर्किट हाउस, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटलों में विश्वविद्यालय अतिथि के रुप में लोजिंग–बोर्डिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्ताव समिति के सदस्यों के समक्ष निर्णयार्थ

प्रस्तुत किया गया। (परिशिष्ट संख्या.12 पृष्ठ संख्या 110 से 111 तक प्रति संलग्न)

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 9.15 **विश्वविद्यालय आवासों में रहने वाले कार्मिकों की आय में मकान किराया भत्ते की राशि को परिलाभों में परिगणित करने के सबंध में।**

(कुलसचिव)

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों को विश्वविद्यालय परिसर में आवासीय मकान आवंटित है। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों से मकान किराये की कटौती की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 17 (3)1 के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्मिकों को अन्य कार्मिकों की श्रेणी में मानते हुए उनकी आय में प्राप्त मूल वेतन का 7.5 प्रतिशत मकान किराया भत्ता राशि परिलाभ के रुप में जोडते हुए आयकर की गणना की जाकर आयकर की कटौती की जाती है। जिसके लिए सम्बंधित कार्मिकों द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों/राज्य सरकार के कार्मिकों के समकक्ष मकान किराया भत्ता राशि को परिलाभों में सम्मिलित नहीं करने का अनुरोध किया गया है तथा इस संबंध में सुलभ संदर्भ हेतु माननीय न्यायालय के निम्नांकित निर्णयों का उल्लेख किया गया है (परिशिष्ट संख्या.13 पृष्ठ संख्या 112 तक प्रति संलग्न)

1. Income Tax Appellate Tribunal, Delhi ITA No. 4676/Del/2005 Dtd. 07.12.2007
2. Hon'ble High Court Andra Pradesh Petn. No. 4400,4978,5664 of 1996 and 33904 of 1997.

प्रकरण माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार की राय के अनुसार प्रकरण केन्द्रीय प्रत्यक्ष–कर बोर्ड, दिल्ली को भिजवाकर वांछित मार्गदर्शन/शिथिलता प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

टेबल एजेण्डा

9.1 (टे.ए.) अष्टम वित्त समिति की बैठक में बिन्दु संख्या 8.13 पर इन्जीनियरिंग संकाय में अध्यापन हेतु गेस्ट फेकल्टी के लिए निर्धारित दरों के अनुरूप प्रबन्ध संकाय में गेस्ट फेकल्टी को मानदेय/पारिश्रमिक दिए जाने हेतु।

विश्वविद्यालय की अष्टम वित्त समिति की बैठक में बिन्दु संख्या 8.13 पर इन्जीनियरिंग संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु गेस्ट फेकल्टी के लिए देय मानदेय/पारिश्रमिक हेतु निम्नानुसार दरों का अनुमोदन किया गया है जिसे प्रबंध मंडल की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.4 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

1 व्याख्यान हेतु	400/– रू. प्रति कालांश
2 प्रयोगशाला हेतु	300/– रू. प्रति कालांश
3 समेकित मानदेय/पारिश्रमिक	15600 रू. प्रतिमाह – बी.टेक योग्यताधारी
4 समेकित मानदेय/पारिश्रमिक	21600 रू. प्रतिमाह – एम.टेक योग्यताधारी
5 समेकित मानदेय/पारिश्रमिक	25000 रू. प्रतिमाह –पी.एच.डी योग्यताधारी

6 एयरोनाटिकल एवं पैट्रोलियम पाठ्यक्रम हेतु विशेषज्ञ व्याख्यान – 1000 रू. प्रति कालांश – अधिकतम 4000 रू. प्रतिदिन/प्रति विशेषज्ञ

विश्वविद्यालय में प्रबंध संकाय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी गत चार वर्षो से चलाया जा रहा है जिसमें अभी तक कोई भी शिक्षक नियमित आधार पर नियुक्त नहीं है। यह पाठ्यक्रम गेस्ट फेकल्टी द्वारा ही संचालित है। अतः प्रबंध संकाय में भी गेस्ट फेकल्टी को निम्नानुसार समेकित दरों के आधार पर मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :–

1 समेकित मानदेय/पारिश्रमिक 21600 रू. प्रतिमाह
(एम.बी.ए. योग्यताधारी के लिए)

2 समेकित मानदेय/पारिश्रमिक 25000 रू. प्रतिमाह
(पी.एच.डी. योग्यताधारी के लिए)

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति